(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1743-एक/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-8-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन

शम्भू पुत्र गंगा मृत वारिस

1- रामखेलावन 2- रामभजन पुत्रगण स्व.शंभू विश्वकर्मा

3- श्रीमती दुअसिया पत्नि स्व.शंभू विश्वकर्मा

ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

रूद्र प्रसाद पुत्र काशीप्रसाद

ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 22-8-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 135/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-10-2006 के विरूद्ध आवेदकगण ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 22-8-2007 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 29-6-2004 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु भूल से फायल में लगाना रह गया। अभिलेख के रख रखाव की जिम्मेदारी आवेदकगण पर डालकर प्रकरण निरस्त कर देना और पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों पर अविश्वास करना आवेदकगण को न्याय से बंचित करना है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 22-8-2007 को निरस्त किया जावे तथा अपर आयुक्त को मामला गुणदोष पर निराकरण करने का डायरेक्शन दिया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 22-8-2007 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब पक्षकार बनाये जाने का आवेदन यथासमय आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, प्रकरण में संलग्न करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं। आवेदकगण के अभिभाषक दिनांक 29-6-04 को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत करना बता रहे हैं जबकि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण एंव उनके अभिभाषक साक्ष्य से अथवा अभिलेख से यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि उनके द्वारा दिनांक 29-6-04 को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक के मिथ्या बचन के आधार पर पुनरावलोकन आदेश दिनांक 22-8-2007 को

निरस्त करने पर विचार किया जाता है निश्चित है कि अनावेदक के हित में प्रोद्भूत अधिकार प्रभावित होंगे। दोनों पक्षों के हितों-अहितों को देखकर न्यायदान की कार्यवाही पर विचार किया जाता है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 22-8-2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 8/2007-08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 22-8-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर